

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आपराधिक प्र.क्र.: 870 / 2014

संस्थित दि: 22 / 09 / 2014

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र रूपझर,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोगी

विरुद्ध

दिनेश पिता पुनुलाल हिरेन्द्रवार, उम्र 35 साल, जाति गढ़वाल,
निवासी समनापुर वार्ड नं. 07 पुसलि चौकी उकवा थाना रूपझर,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — आरोपी

—:: उर्पापण — आदेश ::—

(आज दिनांक 30 / 10 / 2014 को उर्पार्षित किया गया)

- (01) इस आदेश द्वारा प्रकरण के उर्पापण पर विचार किया जा रहा है ।
- (02) प्रकरण में आरोपी जमानत पर है ।
- (03) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया शीलाबाई ने दिनांक 31.08.2014 को इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनेश ने उसे शादी करूंगा बोलकर जबरदस्ती उसकी मर्जी के बिना उसके साथ बालात्कार किया और धमकी दी की मादर चोद गोंडनी तु मेरा क्या कर लेंगी रिपोर्ट करेगी तो जान से खत्म कर दूंगा। फरियादिया की रिपोर्ट पर से आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 97 / 2014 अन्तर्गत धारा 294, 376(क), 506 भा.दं.वि. एवं धारा 3(1)10, 3(1)12, 3(2)5 एस.सी./एस.टी.एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय 294, 376(क), 506 एवं धारा 3(1)10, 3(1)12, 3(2)5 एस.सी./एस.टी.एक्ट के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया ।
- (04) उर्पार्षण पर उभयपक्षों को सुना गया ।
- (05) प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376(1), 294, 506 एवं धारा 3(1)10, 3(1)12, 3(2)5 एस.सी./एस.टी. का अपराध

परिलक्षित होता है। उक्त धाराएं माननीय विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से प्रकरण को माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय, बालाघाट के न्यायालय में उपार्पित किया जाता है।

(06) आरोपी को धारा 207 द0प्र0सं0 के अनुसार अभियोग-पत्र की नकलें दी गईं।

(07) उपार्पण की सूचना लोक अभियोजक, बालाघाट व मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय, बालाघाट को भेजी जावे।

(08) प्रकरण में आरोपी जमानत पर होने उसे माननीय महोदय के न्यायालय के समक्ष दिनांक 13.11.2014 को ठीक पूर्वान्ह में 11.00 बजे उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया जाता है।

आदेश हस्ताक्षरित, दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

आदेश मेरे उद्बोधन पर
टंकित किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट